अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

मिश्रु व वगैरह ..... **बनाम** श्रीमती मानी वगैरह

किस्म मुकदमा .225 राज.काश्तकारी अधिनियम . .नम्बर.98सन.2022(ब्यावर)

2022/98

श्री राघवेन्द्र सिंह राणावत

मिश्रु बनाम श्रीमती मानी वगैरह (98/2022)

28.06.2022

पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र स्थगन पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट को प्रार्थना पत्र पर दिनांक 20.06.2022 को सुना गया।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र निवेदन किया कि विवादित आराजीयात में से कुछ आराजियात राजू मुतबन्ना लाखा कि एकल खातेदारी एवं कुछ आराजियात संयुक्त खातेदारी कि अविभक्त आराजियात है जिसे बिना बंट बेचान एवं हस्तातंरण नहीं किया जा सकता है तथा बिना बंट निर्माण नहीं किया जा सकता है। इस कारण पारिवारीक एवं सहखातेदारी के मामले में विवादित आराजियात को सुरक्षित रखा जाना आवश्यक है ताकि वाद बाहुल्यता नहीं बढ़े तथा प्रकरण में जटिलताये उत्पन्न नहीं हो। सन्फसली 1350 एवं खेवट में किये अंकन तथा इसके पश्चात लगातार राजस्व अभिलेख जो वर्तमान भू–प्रबन्ध तक है उसमें भूमि अपीलार्थीगण के पूर्वजो की होना साबित है तथा बाद कि चौसाला जमाबंदी एवं वर्किंग जमाबंदी की प्रविष्टी ऐसी किसी साक्ष्य से समर्थित नहीं है जिसके आधार पर वर्तमान अभिलेख में उक्त प्रविष्टी दर्ज की गई जो मात्र राजस्व अभिलेख के ऐसे परिवर्तन से अपीलार्थीगण का भूमि पर कब्जा एवं खातेदारी नहीं मानने बाबत् किया गया विवेचन मात्र विचारण न्यायालय की विधिक अज्ञानता का परिचायक है तथा पूर्व अभिलेख का अंकन निर्णय में अपीलार्थीगण के अभिभाषक की बहस के दौरान किया गया इसके पश्चात न्यायालय द्वारा स्वंय का विवेचन जहॉ से आरम्भ किया गया उनमें कहीं भी राजस्व अभिलेख बाबत् विवेचन नहीं किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के प्रावधान दौराने वाद वादग्रस्त सम्पति की सुरक्ष बाबत् है तथा मात्र इस आधार पर ही पुराने अभिलेख के अंकन व वर्तमान अंकन का निर्णय वाद के निर्णय में किया गया जायेगा वर्तमान में अपीलार्थीगण खातेदार नहीं है जबकि अपीलार्थी सहखातदोर है तथा अपीलार्थी कमला तो रेकार्ड में बाकायदा सहखातदोर दर्ज भी है तथा प्रतिवादीगण द्वारा अपनी मर्जी से जबरन कब्जा किया गया है तथा निर्माण किया जा रहा है। इस प्रकार वर्तमान परिस्थितियों के मध्यनजर विवादित आराजियात कि सुरक्षा हेतु अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करना परम आवश्यक है फिर भी अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं कर ऐसा विवेचन कर अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र निरस्त करना अवैधानिक है। विवादित आराजी पर अप्रार्थीगण/रेस्पोडेन्टस यदि बेचान, हस्तातंरण एवं निर्माण कार्य नहीं करने हेतु अप्रार्थीगण को पाबंद करना अत्यन्त आवश्यक है यदि ऐसा नहीं किया गया तो वाद में जटिलताये बढ़ जावेगी तथा विवादित आराजियात खुद–बुर्द हो जावेगी प्रार्थी को भारी क्षति कारित होगी। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए विपक्षीगण को पाबंद किया जावें कि वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम जेतपुरा तहसील ब्यावर को बेचान, हस्तातंरण नहीं करें एवं मौके पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करें तथा भूमि को कृषि भूमि से अकृषि भूमि में परिवर्तन नहीं करें तथा प्रार्थी के शांतिपूर्ण कार्य में बाधा नहीं डाले तथा विवादित आराजी के राजस्व रेकार्ड व मौके की आज कि यथास्थिति बनायी रखी जाने के आदेश प्रदान करावें।

अभिभाषक अपीलांटस के द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति व प्रस्तुत दस्तोवजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर के आदेश दिनांक 04.04.2022 द्वारा

राजस्व अपील अधिकारी

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

मिश्रु व वगैरह .... **बनाम** श्रीमती मानी वगैरह

किस्म मुकदमा .225 राज.काश्तकारी अधिनियम . .नम्बर.98सन.2022(ब्यावर)

०७।७।२२ अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा को अस्वीकार किये जाने के आदेश गये है। तथा प्रकरण शेष अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नियत है। अभिभाषक अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 04.04.2022 की अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की हैं। प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा किया जाना हैं किन्तु उभय पक्षकारों के मध्य कृषि भूमि के सम्बन्ध में सद्भाविक विवाद विद्यमान है। इस सम्बन्ध में उच्चतर न्यायालयों के विभिन्न न्यायिक दृष्टांत में पारित सिद्धान्त की अवधारणा के अनुसार कृषि भूमि के सम्बन्ध में सद्भाविक विवाद मौजूद होने पर विवादित आराजी के राजस्व रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति रखी जाकर संरक्षित किया जाना न्याय संगत है। न्यायहित में हम पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए, अपील को इसी स्तर पर निर्णित कर प्रकरण को इस आशय से अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है कि वे प्रार्थना पत्र में उभय पक्षकारान को [illegible] सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम(अस्थायी निषेधाज्ञा) का गुणावगुण पर 30 दिवस में निस्तारण करें।

अतः अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि वे उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम (अस्थायी निषेधाज्ञा) का गुणावगुण पर 30 दिवस में निस्तारण करें, तब तक अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर के आदेश दिनांक 04.04.2022 एवं प्रार्थना पत्र में अंकित विवादित आराजी के राजस्व रेकार्ड एवं मौके की उभयपक्षकारान यथास्थिति बनायी रखी जावें। पक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 15.07.2022 को उपस्थित होने हेतु पाबंद किया जाता है। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर